

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ****आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या- 2230 वर्ष 2026**

सूरज

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से एवं 4 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सुयश द्विवेदी, अनिल कुमार पाण्डेय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 16**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

1. श्री आनन्द कुमार यादव, अधिवक्ता ने विपक्षी संख्या 3 की ओर से वकालतनामा दाखिल कर उपस्थिति दर्ज करायी है और उसे पत्रावली में लिया गया है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री आनंद कुमार यादव, विपक्षी संख्या 3 के लिए विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।
3. मुकदमा अपराध संख्या 0039/2024 धारा 363, 366, 376, 506 भारतीय दंड संहिता एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, थाना-सम्मनपुर, जिला-अम्बेडकर नगर से संबंधित आरोप पत्र संख्या 01/2024 दिनांक 10.03.2020 एवं, विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, अम्बेडकर नगर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 0039/2024, धारा 363,366,376,506 भारतीय दंड संहिता एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

का संरक्षण अधिनियम के तहत जारी सम्मन आदेश दिनांक 06.09.2024 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ तत्काल आवेदन दायर किया गया है।

4. आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ गलतफहमी के तहत वर्तमान प्राथमिकी आवेदकों के विरुद्ध दर्ज किया गया है और उसके बाद, पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद को सुलझा लिया है और अपनी शादी कर ली है और उनके विवाह से एक बच्चा है। समझौता विलेख दिनांक 27.01.2026 को लिखित रूप में निष्पादित कर दिया गया है जिसे वर्तमान आवेदन के अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न किया गया है। उनका कहना है कि वर्तमान आवेदकों का मामला पूरी तरह से विश्वास भंडारी बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2021) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 605 में रिपोर्ट, आपराधिक अपील संख्या 105 वर्ष 2021, दिनांक 03.02.2021 में किए गए फैसले के अनुपात से आच्छादित है। उन्होंने आगे कहा कि अब पक्षों के बीच एक-दूसरे के साथ कोई शिकायत नहीं है और आवेदकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही व्यर्थ है क्योंकि मुकदमे का कोई भाग्य नहीं है और यह आवेदकों के उत्पीड़न के समान है और इस प्रकार, आवेदकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

5. दूसरी ओर, विपरीत पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के संस्करण का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि पक्षों ने एक समझौता विलेख के माध्यम से अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और वर्तमान आवेदकों के खिलाफ विपक्षी दलों की कोई और शिकायत नहीं है और आवेदकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद की जा सकती है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. अब क्या पक्षकारों ने वास्तव में मामले में समझौता किया है या नहीं, इसका सबसे अच्छा पता विचारण न्यायालय द्वारा लगाया जा सकता है क्योंकि इस तरह के समझौते को अदालत के समक्ष संबंधित पक्षों की उपस्थिति में विधिवत सत्यापित किया जाना चाहिए।
8. तदनुसार, इस आवेदन को संबंधित अदालत को एक निर्देश के साथ निपटाया जाता है कि यदि उसके समक्ष ऐसा कोई समझौता दायर किया जाता है, तो वह समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता के लिए नोटिस जारी करेगा और उसके बाद, समझौते को सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ेगा। यदि उपरोक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और समझौते को पत्रावली का हिस्सा बनाया जाएगा।
9. उस परिदृश्य में अदालत पक्षों को रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के साथ-साथ समझौता करने की अनुमति देगी और यह आवेदकों के लिए कार्यवाही को रद्द करने के लिए फिर से इस न्यायालय के समक्ष आने के लिए खुला होगा।
10. तीन महीने की अवधि के लिए, मुकदमा अपराध संख्या 0039/2024 धारा 363, 366, 376, 506 भारतीय दंड संहिता एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, थाना-सम्मनपुर, जिला-अम्बेडकर नगर, जहाँ तक आवेदकों का प्रश्न है, की कार्यवाही पर रोक रहेगी।
11. विचारण न्यायालय को इस तथ्य की जांच करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या वे सभी पक्ष जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, समझौते में पक्ष थे और इस संबंध में, वह सत्यापन आदेश के साथ एक रिपोर्ट भी भेजेगी।
12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मूल समझौता विलेख की फोटोकॉपी लेने के बाद आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता को, यदि कोई हो, लौटा दे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मार्च 25, 2026

मयंक/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।